न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 87/2014

CIS Reg. No. – CRI. CASE/7311/2014

CNR No. : RJJH020000272014

राजस्थान राज्य बनाम श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 271/2013, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी

भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	रामअवतार बिलोनिया पुत्र उदाराम, निवासी 71/358 प्रतापनगर श्योपुर सांगानेर, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर हाल प्रबन्धक केनरा बैंक झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज पुत्र कश्मीरीलाल दुआ, निवासी बी–201 सैनिक इंकलेव, जड़ोदा कलां, पुलिस थाना नजफगढ, नई दिल्ली 2. नरेश पालीवाल उर्फ नवीन उर्फ राजीव वर्मा पुत्र स्व. जगदीश पालीवाल, निवासी मकान नम्बर 245 गली नम्बर 7 गोविन्द बिहार करावलनगर, दिल्ली–94 हाल आर–243, गली नम्बर 4 जोगाबाई, पुलिस थाना जामियानगर, दिल्ली–25 3. शोएब उर्फ शोबी पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी मकान नम्बर ए–19 मुरादी रोड़, बाटला हाऊस, ओखला, नई दिल्ली 4. अयाज उर्फ खुर्म पुत्र सुलतान खां, निवासी नम्बर 13/94 विजवारियान, बल्लीमरान चांदनी चौक, पुलिस थाना लाहोरी गेट,

	नई दिल्ली 5. अनीश खान उर्फ युनुस खान उर्फ मामू पुत्र इसफखान, निवासी मकान नम्बर 1892 गल बहराम बैग, लाल कुआं, पुलिस थाना होस का जी, दिल्ली–6 6. मदनलाल अरोड़ा पुत्र चैनाराम, निवासी मकान नम्बर 220 बी जे&के अपार्टमेंट दिलशाद गार्डन, पुलिस थाना सीमापुरी, दिल्ली–93 **(उन्मोचित आदेश दिनांक 25.07.2024)**
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्तागण अभियुक्तगण	श्री कंचन वास्ते अभियुक्त नम्बर 01
	श्री मो. फारूक खान वास्ते अभियुक्त नम्बर 02 एवं 05
	श्री उम्मेद सिंह वास्ते अभियुक्त नम्बर 03 एवं 04

B

अपराध की दिनांक	01.10.2013
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01.10.2013
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	06.02.2014
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	23.08.2017
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	04.09.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	02.04.2026
निर्णय दिनांक	06.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	–––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत पर रिहा होने की दिनांक**	**अपराध अंतर्गत धारा**	**दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध**	**पारित दण्डादेश**	**धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि**
01	श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज	14.11.2013	25.11.2014	420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	--	–
02	अयाज उर्फ खुर्म	19..03.2014	13.06.2014				
03	अनीश खान	19.03.2014	19.06.2014				

Authenticated Document

04	नरेश पालीवाल	10.12.2013	03.06.2014				
05	शोयब उर्फ शोबी	24.12.2013	22.08.2014				

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	रामावतार बिलोनिया	ताईद एफआईआर व विवादित चैक पेश करना, विवाद रहित दो चैक मय खाता खोलने का फार्म, बैंक स्टेटमेंट, फूटेज, पेन ड्राईव, नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू. 2	विकास तारीका	ताईद चश्मदीद शहादत, पेश विवादित तीन चैक, विवाद रहित दो चैक मय खाता खोलने का फार्म व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू. 3	सुभाषचन्द	ताईद चश्मदीद शहादत व पेश विवादित तीन चैक व विवाद रहित दो चैक मय खाता खोलने का फार्म व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू. 4	सुबेसिंह	ताईद फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अयाज उर्फ खुर्म, अनीश खान उर्फ यूनुस खान उर्फ मामू तथा मदनलाल
पी.डब्ल्यू. 5	आबिद अली	ताईद फर्द जब्ती विवाद रहित तीन मूल चैक
पी.डब्ल्यू. 6	महमूद अली	ताईद फर्द जब्ती विवाद रहित तीन मूल चैक
पी.डब्ल्यू. 7	होशियार सिंह सैनी	ताईद फर्द जब्ती विवाद रहित पांच भुगतानशुदा मूल चैक
पी.डबल्यू 8	संदीप कुमार	ताईद फर्द गिरफ्तारी मुलजिम देवराज
पी.डबल्यू. 9	बाबूलाल	ताईद तस्दीक घटनास्थल
पी.डबल्यू 10	प्रवीण नूनिया	ताईद फर्द जब्ती विवाद रहित पांच भुगतानशुदा मूल चैक
पी.डबल्यू 11	राजेन्द्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम देवराज व तफ्तीश गवाहान
पी.डबल्यू 12	रविन्द्र सिंह	ताईद एफएसएल में माल जमा करवाना
पी.डबल्यू 13	अवदेश	ताईद फर्द इन्साफ मुलजिम अयाज, अनीश खान व मदनलाल तथा फर्द मकबुलगी राशि चैक, चैकिंग मशीन, लेपटाप जब्त करना व इनकी प्रमाणित कॉपी थाना ई.ओ.डब्ल्यू. दिल्ली की पेश करना

Authenticated Document

पी.डबल्यू 14	पुनीत शर्मा	ताईद वाकियात
पी.डबल्यू 15	अश्वनी कुमार	ताईद हालात तफ्तीशी व तितम्बा चार्जशीट
पी.डबल्यू 16	निसार अहमद	अन्य गवाह

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी 03	शिकायत
04	प्रदर्श पी 04	फोटोप्रति चैक नम्बर 366060
05	प्रदर्श पी 05	फोटोप्रति चैक नम्बर 366058
06.	प्रदर्श पी 06	चैक नम्बर 366059
07	प्रदर्श पी 07	नक्शा मौका घटनास्थल
08	प्रदर्श पी 08	फर्द जब्ती तीन चैक राजीव वर्मा के व दो मूल चैक
09	प्रदर्श पी 09	निसार अहमद कुरैशी का बैंक मेंखाता खुलवाने का मूल आवेदन
10	प्रदर्श पी 10	चैक नम्बर 366051
11	प्रदर्श पी 11	चैक नम्बर 366052
12	प्रदर्श पी 12	चैक नम्बर 349752
13	प्रदर्श पी 13	चैक नम्बर 349753
14	प्रदर्श पी 14	चैक नम्बर 349754
15	प्रदर्श पी 15	चैक नम्बर 366663

Authenticated Document

16	प्रदर्श पी 16	चैक नम्बर 366664
17	प्रदर्श पी 17	चैक नम्बर 366058
18	प्रदर्श पी 18	चैक नम्बर 366059
19	प्रदर्श पी 19	चैक नम्बर 366060
20	प्रदर्श पी 20	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम अयाज उर्फ खुर्म
21	प्रदर्श पी 21	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम अनीश खान उर्फ युनुस खान उर्फ मामु
22	प्रदर्श पी 22	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम मदनलाल अरोड़ा
23	प्रदर्श पी 23	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम देवराज
24	प्रदर्श पी 24	अकाउण्ड स्टेटमेंट
25	प्रदर्श पी 24	प्राप्ति रसीद कार्यालय राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर
26	प्रदर्श पी 24	फर्द जब्ती तीन मूल चैक बुक कवर के केनरा बैंक झुंझुनू
27	प्रदर्श पी 25	फर्द जब्ती पांच मूल विवाद रहित चैक
28	प्रदर्श पी 25	चाक एफआईआर
29	प्रदर्श पी 25	पुलिस अधीक्षक झुंझुनू द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जारी पत्र
30	प्रदर्श पी 26	द्वितीय चाक एफआईआर
31	प्रदर्श पी 20 लगायत 26	सीसीटीवी फोटोग्राफ्स
32	प्रदर्श पी 27	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम शोएब उर्फ शोबी के धीमी गति
33	प्रदर्श पी 28	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम शोएब उर्फ शोबी के मध्यम गति
34	प्रदर्श पी 29	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम शोएब उर्फ शोबी के तेज गति
35	प्रदर्श पी 30	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम नरेश पालीवाल उर्फ नवीन उर्फ राजीव वर्मा
36	प्रदर्श पी 31	मुलजिम मोहम्मद शोएब का गिरफ्तारी फार्म
37	प्रदर्श पी 32	फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम श्याम उर्फ श्याम सुन्दर
38	प्रदर्श पी 33	फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम मोहम्मद शोएब उर्फ शोबी
39	प्रदर्श पी 34	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज के धीमी गति
40	प्रदर्श पी 35	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज के मध्यम गति

Authenticated Document

41	प्रदर्श पी 36	स्पेशीमेन हस्ताक्षर निसार के द्वारा मुलजिम श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज के तेज गति
42	प्रदर्श पी 37	एफएसएल रिपोर्ट
43	प्रदर्श पी 38 लगायत 40	तीन मूल चैक
44	प्रदर्श पी 41	चैक बुक

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

–निर्णय–

दिनांक – 06 अप्रेल, 2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.10.2013 को परिवादी रामअवतार बिलोनिया, तत्कालीन प्रबन्धक केनरा बैंक, झुंझुनू ने पुलिस थाना, कोतवाली झुंझुनूं में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी केनरा बैंक झुंझुनू के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 01.10.2013 को समय 11.25 के लगभग एक व्यक्ति राजीव वर्मा नामक बैंक में आया और उसने तीन चैक नम्बर 366058 रूपये 9,00,000/–, चैक नम्बर 366059/– रूपये 8,00,000/– व चैक नम्बर 366060 रूपये 23,00,000/– कुल 40,00,000/–रूपये के बैंक में प्रस्तुत किये और बैंक से समय करीब सुबह 11.52 पर बैंक से धोखा कर भुगतान प्राप्त किया। बैंक द्वारा एनआरई खाता धारक निसार अहमद कुरेशी जो बहरीन रहता है उक्त

Authenticated Document

तीनों चैक का भुगतान होते ही नियमानुसार एसएमएस गया तो खाताधारक निसार अहमद का केनरा बैंक झुंझुनू में फोन व मेल आया कि उसके द्वारा भुगतान हेतु कोई चैक नहीं दिये गये है। राजीव वर्मा नामक व्यक्ति ने चैक के पीछे अपने हस्ताक्षर के नीचे अपने मोबाईल नम्बर 9958376476 लिख कर दिये और बैंक को धोखा देकर भुगतान प्राप्त कर लिया। खाताधारक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित राजीव वर्मा द्वारा धोखाधड़ी कर उक्त चैकों का भुगतान बैंक से प्राप्त कर लिया गया है। बैंक में तथाकथित राजीव वर्मा की सीसीटीवी कैमरा फोटो भी उपलब्ध है। इस ट्रांजेक्शन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति खाताधारक को जानता है और हो सकता है कि वह विदेश में रहता हो और यह अपराध करने के पश्चात विदेश जा सकता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 271/2013 अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण श्यामसुन्दर उर्फ श्याम उर्फ देवराज, नरेश पालीवाल उर्फ नवीन उर्फ राजीव वर्मा, शोएब उर्फ शोबी, अयाज उर्फ खुर्म, मदनलाल अरोड़ा व अनीश खान उर्फ युनुस खान उर्फ मामू के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

Authenticated Document

3. तत्पश्चात माननीय सेशन न्यायाधीश, झुंझुंनू के द्वारा आदेश दिनांक 16.01.2018 के द्वारा इस न्यायालय के आरोप विरचना के आदेश को अभियुक्त मदनलाल अरोडा की हद तक अपास्त करते हुए पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया। इस आदेश की पालना में बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त मदनलाल अरोड़ा को धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से उन्मोचित किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्त वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6. बहस अंतिम सुनी गई।

7. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

8. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में किसी भी अभियुक्तगण की पहचान को अभियोजन ने साबित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल मात्र एक व्यक्ति के बैंक में आने के तथ्य को दर्शित किया है, जबकि आरोप पत्र छः लोगों के विरूद्ध पेश किया गया है। अभियुक्तगण को किस आधार पर जोड़ा गया है, यह तथ्य साबित नहीं है। बैंककर्मी अभियुक्तगण को पहचानने व उनके द्वारा बैंक में आने के तथ्य से स्पष्टता के साथ इनकार कर रहे हैं। स्वयं खाताधारक

Authenticated Document

निसार अहमद ने विवादित चैक स्वयं के द्वारा ही काम में लिये के तथ्य को स्वीकार किया है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिरह में चैक उचित अभिरक्षा से बैंक द्वारा भुगतान किए जाना स्वीकार किया है। जब बैक द्वारा उचित अभिरक्षा से ही चैक आने पर भूगतान किया है, वहां किसी प्रकार से कूटरचना साबित नही मानी जा सकती है। अनुसंधानकर्ता ने जिरह में हस्ताक्षरों का सही मिलान व विवादित चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 निसार अहमद द्वारा ही जारी करना पाये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। जब चैक निसार अहमद की ओर से जारी किए गए है व निसार अहमद द्वारा स्वयं ही चैक काम में लिए गए हैं, वहां किसी रूप में कूटरचना का अपराध नहीं बनता है और न ही किसी प्रकार बैंक से किसी प्रकार की राशि को गलत तरीके से निकालने का अपराध बनता है। लिहाजा अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र कर दिनांक 01.10.2013 को समय 11.25 पर मौजा केनरा बैंक, झुंझुनूं में परिवादी बैंक से बेईमानी व कपटपूर्वक छल कर चैक नम्बर 366058 रूपये 9,00,000/–, चैक नम्बर 366059 रूपये 8,00,000/– एवं चैक नम्बर 366060 रूपये 23,00,000/– का भुगतान प्राप्त कर सम्पत्ति परिदत्त कर छल किया एवं प्राप्त रकम को अपने निजी उपयोग में लेकर या अन्यत्र उपयोग कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया हो?

2. क्या अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र कर परिवादी बैंक कैनरा बैंक में तीन चैक नम्बर 366058, 366059 एवं 366060 जो कि मूल्यवान प्रतिभूति हैं कि कूटरचना परिवादी बैंक के साथ छल करने

Authenticated Document

के आशय से की एवं उक्त चैकों की कूटरचना कर फर्जी/कूटरचित चैक जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लिया हो?

3. यदि, हां तो अभियुक्तगण को क्या सजा दी जावे?

10. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

–प्रारम्भिक पृष्ठभूमि–

11. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 से होता है, जिसमें परिवादी ने अंकन किया है कि दिनांक 01.10.2013 को समय 11.25 के लगभग एक राजीव वर्मा नामक व्यक्ति बैंक में तीन चैक नम्बर 366058 रूपये 9 लाख, चैक नम्बर 366059 रूपये 8 लाख, चैक नम्बर 366060 रूपये 23,00,000/– रूपये कुल 40,00,000/– रूपये के बैंक में प्रस्तुत किए एवं बैंक से धोखा कर भुगतान प्राप्त किया। खाताधारक निसार अहमद के पास एसएमएस जाने पर उसके द्वारा बैंक में फोन व मेल के माध्यम से भुगतान हेतु कोई चैक नहीं दिए जाने के तथ्य दर्शित किए गए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया है।

–अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण–

12. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी रामअवतार बिलोनिया न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ कथनों में रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के अनुरूप कथन करते हुए जुलाई, 2013 से दिसम्बर, 2013 या जनवरी, 2014 तक वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत होकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 को राजीव वर्मा के 3 चैक लेकर बैंक में आने, 40 लाख रूपये की राशि के भुगतान प्राप्ति के लिए प्रस्तुत किए जाने, 40 लाख रूपये का भुगतान लगभग 11.52 एएम पर प्राप्त कर बैंक से निकल जाने, खाताधारक निसार अहमद द्वारा बैंक में कॉल कर बताने कि उसके द्वारा

कोई चैक किसी को नहीं दिया जाने, तत्पश्चात ज्ञात होने कि राजीव नामक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से फर्जी चैक पेश कर भुगतान प्राप्त किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। इसी प्रकार के कथन गवाह पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद ने केनरा बैंक में पदस्थापित होते हुए दिनांक 01.10.2013 को राजीव वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा चैक नम्बर 366058, 366059 एवं 366060 प्रस्तुत किए जाने पर पूरी प्रक्रिया के उपरांत उसे 40 लाख रूपये का भुगतान किए जाने के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 16 निसार अहमद ने अपने सशपथ बयानों में कस्बा झुंझुनूं में एनआरआई अकाउण्ट होने, दिनांक 01.10.2013 को उसके पास मोबाइल पर स्वयं के खाते से कुल 40 लाख रूपये डेबिट होने, मीटिंग से बाहर आकर बैंक मेनेजर से बात करने पर उसके द्वारा राजीव नामक व्यक्ति के रूपये लेकर जाने, रामावतार को उक्त चैक स्वयं के पास होने के बारे में बताने, किसी भी व्यक्ति को भुगतान बाबत चैक नहीं देने, राजीव वर्मा द्वारा उक्त चैक फर्जी तरीके से तैयार कर 40 लाख रूपये प्राप्त कर लेने बाबत साक्ष्य दी है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 04 सुबे सिंह ने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 19.03.2014 को एसआई के पद पर पदस्थापित होते हुए फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 20 लगायत पी 23 के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 05 आबिद अली एवं पी.डब्ल्यू. 06 महमूद अली ने अपने सशपथ बयानों में फर्द जब्ती तीन चैक प्रदर्श पी 24 के संबंध में साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 07 होशियार सिंह सैनी एवं पी.डब्ल्यू. 10 प्रवीण नूनियां खाताधारक निसार अहमद के पांच चैक पुलिसवालों द्वारा जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श पी 25 के जब्त किए जाने एवं पांच मूल चैक प्रदर्श पी 12 लगायत पी 16 होने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 08 संदीप कुमार ने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 14.11.2013 को सिपाही के पद पर पदस्थापित होते हुए अभियुक्त देवराज को जरिए फर्द प्रदर्श पी 23 के गिरफ्तार किए जाने बाबत कथन

Authenticated Document

किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 09 बाबूलाल ने दिनांक 19.11.2013 को पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं में सिपाही के पद पर तैनात होते हुए नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 25 एवं पी 26 के बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 11 राजेंद्र कुमार ने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 14.10.2013 को हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित होते हुए दौराने अनुसंधान गवाहान के उनके कथनानुसार बयान लेखबद्ध किए जाने एवं देवराज को जरिए प्रदर्श पी 23 के गिरफ्तार किए जाने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 12 रविंद्र सिंह ने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में दिनांक 31.01.2014 को में कानि के पद पर पदस्थापित होते हुए वजह सबूत एफएसएल कार्यालय जयपुर में जमा करवाने बाबत कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 13 अवदेश ने दिनांक 26.02.2014 को सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित होते हुए अभियुक्तगण अयाज उर्फ खुर्रम एवं अनीष खान उर्फ मामू एवं मदनलाल खुराणा को गिरफ्तार कर पूछताछ नोट बनाए जाने बाबत साक्ष्य दी है। गवाह पी.डब्ल्यू. 14 पुनीत शर्मा ने अपने सशपथ न्यायालय बयानों में एचडीएफसी रियल्टी में सैल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर पदस्थापित होते हुए निसार अहमद का चैक कम्पनी के जरिए आईआईटीएल निम्बस दा हाइड पार्क को जरिए दस्ती लाकर देने बाबत कथन किए हैं। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 15 अश्वनी कुमार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी होकर प्रकरण में अनुसंधान बाबत की सिलसिलेवार कार्यवाही के संबंध में कथन किये है।

– अभियुक्तगण की पहचान का तथ्य –

13. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में दिनांक 01.10.2013 को कैनरा बैंक, शाखा झुंझुनूं में राजीव वर्मा नामक व्यक्ति के आने और निसार अहमद के एनआरआई खाते के तीन चैक पेश कर 40 लाख रूपये आहरित किए जाने के तथ्य दर्शित किए गए हैं। परिवादी रामअवतार बिलोनियां पी.डब्ल्यू. 01, पी.डब्ल्यू.

02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से अपने शपथ बयानों में भी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के अनुरूप कथन किए हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त की पहचान का कोई विशिष्ट तथ्य नहीं किया गया है। प्रकरण में जो आरोप पत्र पेश किया गया है वह प्रथम बार तीन अभियुक्तगण व तत्पश्चात अन्य तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध पुरक आरोप पत्र पेश किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति अभियुक्त मदनलाल को दिनांक 25.07.2024 के आदेश द्वारा आरोपों से उन्मोचित घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण की कोई पहचान दौराने अनुसंधान प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी से करवाई गई हो, ऐसे किसी भी तथ्य को अनुसंधान अधिकारी की ओर से दर्शित नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से घटना के फोटोग्राफ्स को प्रदर्श पी 20 लगायत पी 26 को प्रदर्शित कराया गया है। प्रदर्श पी 20 लगायत पी 26 फोटोग्राफ्स के संबंध में किसी प्रकार का धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाण पत्र अभियोजन की ओर से पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है, वहां उक्त फोटोग्राफ्स किसी भी रूप में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के अभाव में साबित योग्य नहीं है। स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू. 01 रामअवतार बिलोनियां द्वारा जिरह में स्पष्टता के साथ इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके सामने नरेश उर्फ नवीन पालीवाल, अनीश, अयाज, श्यामसुंदर उसके सामने घटना के दिन बैंक में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनको जानता है और उपस्थित होने पर पहचान भी नहीं सकता है। अभियोजन कहानी अनुसार जो व्यक्ति राजीव वर्मा बनकर बैंक में आया वह व्यक्ति अभियुक्त नरेश उर्फ नवीन पालीवाल था लेकिन स्वयं परिवादी की ओर कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि वह व्यक्ति नरेश उर्फ नवीन पालीवाल हो। ऐसी स्थिति में जब परिवादी स्पष्टता के साथ अभियुक्तगण के आने और उन्हें जानने से इनकार करता है, वहां

Authenticated Document

परिवादी के कथन किसी भी रूप में अभियुक्त की पहचान को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका की ओर से भी अभियोजन कहानी के अनुरूप कथन करते हुए जिरह में इस तथ्य को स्पष्टता के साथ स्वीकार किया गया है कि श्यामसुंदर, नरेश, अयाज, मदनलाल, अनीश खान, शोयब उनके बैंक की शाखा में कभी नहीं आए ना ही शाखा में उसने देखा। गवाह पुनः अभियुक्तगण नरेश उर्फ नवीन पालीवाल, श्यामसुंदर, अयाज, अनीश, शोयब एवं मदनलाल से कभी नहीं मिलना बताता है। गवाह की जिरह में इस स्वीकारोक्ति से भी स्पष्टता के साथ अभियुक्तगण की पहचान का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से भी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को नहीं देखा जाने के तथ्य को जिरह में स्वीकार किया है। गवाह की ओर से किसी रूप में अभियुक्तगण की पहचान बाबत कोई विशिष्ट तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को देखने से इनकार किया है, वहां इस गवाह की साक्ष्य अभियुक्तगण की पहचान के तथ्य को साबित करने के पर्याप्त नहीं है।

14. यदि वास्तविक रूप में गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामअवतार बिलोनियां, पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से अभियुक्तगण में से किसी एक व्यक्ति को बैंक में राजीव वर्मा बनकर आए होने के तथ्य को दर्शित करते तो निश्चित तौर पर उक्त गवाहों की ओर से यह दर्शित किया जाता कि उनकी ओर से उस व्यक्ति को अवश्य देखा गया था जो राजीव वर्मा बनकर आया था, लेकिन गवाह पहचान के तथ्य के संबंध में अस्पष्ट प्रकृति के कथन कर रहे हैं, वहां इन गवाहान की साक्ष्य भी पहचान के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Authenticated Document

15. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 15 अश्वनी कुमार ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण झुंझुनूं आए थे या नहीं, इस बाबत पत्रावली पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अभियुक्तगण के झुंझुनूं आने के तथ्य के संबंध में जिरह में की गई इस प्रकृति की स्वीकारोक्ति अपने आप में अभियुक्तगण की झुंझुनूं में घटनास्थल पर उपस्थिति के तथ्य को अविश्वास योग्य बना देती है। यदि वास्तव में अभियुक्तगण की पहचान का तथ्य अनुसंधान अधिकारी अपने अनुसंधान से सुनिश्चित करता तो प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिरह में इस प्रकार की स्वीकारोक्ति किसी भी रूप में नहीं की जाती। अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई इस स्वीकृति से भी भी अभियुक्तगण की पहचान किसी रूप में साबित योग्य नहीं रह जाती है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण की पहचान का तथ्य साबित नहीं है।

– चैक की कूटरचना का तथ्य –

16. अभियोजन कहानी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के अनुसार दिनांक 01.10.2013 को राजीव वर्मा नामक व्यक्ति के बैंक में आकर चैक नम्बर 366058 राशि 9 लाख रूपये, चैक नम्बर 366059 राशि 8 लाख रूपये एवं चैक नम्बर 366060 राशि 23 लाख रूपये कुल 40 लाख रूपये प्रस्तुत करने पर निसार अहमद कुरैशी के एनआरआई खाते से राशि आहरित किए जाने के तथ्य दर्शित किए गए हैं। प्रदर्श पी 01 के अनुरूप ही गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामअवतार बिलोनियां, पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से कथन किए गए हैं। अभियोजन कहानी अनुसार जो चैक नम्बर 366058, 366059 व 366060 पेश किए गए हैं, वह खाताधार निसार अहमद कुरैशी के हस्ताक्षरों से जारी नहीं होकर कूटरचित तैयार

करते हुए किसी राजीव वर्मा द्वारा बैंक में पेश कर राशि आहरित की गई और अभियोजन कहानी अनुसार राजीव वर्मा नाम का व्यक्ति अनुसंधान से नरेश उर्फ नवीन पालीवाल होना पाया गया है। अभियोजन को स्पष्टता के साथ तीनों चैक कूटरचित होने का तथ्य साबित करना था। अभियोजन द्वारा विवादित चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 को कूटरचित होने का तथ्य दर्शित किया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 15 अश्वनी कुमार की ओर से अनुसंधान सम्पादित किए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाने और दिनांक 24.12.2013 को खाताधारक निसार अहमद के विधि विज्ञान प्रयोगशाला से हस्ताक्षर मिलान करने हेतु धीमी गति, मध्यम गति एवं तेज गति से हस्ताक्षर प्रदर्श पी 27 लगायत पी 29 करवाए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श पी 37 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है।

17. अभियोजन की ओर से पेश गवाहान पी.डब्ल्यू. 01 रामअवतार बिलोनियां, पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से दिनांक 01.10.2013 को राजीव वर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा राशि आहरित किए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 पेश किए जाने के तथ्य दर्शित किये है। खाताधारक निसार अहमद न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 16 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसके अनुसार बैंक में स्वयं का एनआरआई खाता होने के तथ्य दर्शित करते हुए तीन चैक संख्या 366058 राशि 9 लाख, चैक नम्बर 366059 राशि 8 लाख एवं चैक नम्बर 366060 राशि 23 लाख स्वयं द्वारा दिए नहीं होने और चैक अपनी चैक बुक के नहीं होने और अपने हस्ताक्षर नहीं होने के तथ्य दर्शित किए हैं। जिरह के दौरान गवाह स्पष्टता के साथ अपनी मुख्य परीक्षा के विपरीत कथन करता है कि प्रदर्श पी 10 लगायत पी 19 उसके द्वारा काम में लिए हुए

Authenticated Document

हैं। चैक प्रदर्श पी 17 लगायत 19 प्रदर्श पी 10 लगायत पी 19 के ही दस्तावेजों में शामिल हैं। जब खाताधारक निसार अहमद जिरह में यह स्वीकार करता है कि चैक उसके काम में लिए हुए हैं, वहां यह तथ्य स्पष्ट है कि जो चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 कूटरचित होना परिवादी बैंक मेनेजर रामअवतार बिलोनियां की ओर से दर्शित किए गए हैं, पर हस्ताक्षर निसार अहमद की ओर से किए गए हैं। यद्यपि गवाह पी.डब्ल्यू. 16 निसार अहमद मुख्य परीक्षा में चैक प्रदर्श पी 17 से प्रदर्श पी 19 पर स्वयं के हस्ताक्षर नहीं होना बताया है लेकिन खाताधारक निसार अहमद द्वारा जिरह में की गई स्वीकारोक्ति से उसकी सम्पूर्ण मुख्य परीक्षा अपने आप में संदिग्ध हो जाती है। यदि वास्तव में चैक प्रदर्श पी 17 से प्रदर्श पी 19 पर खाताधारक निसार अहमद के हस्ताक्षर नही होते तो खाताधारक इस तथ्य को किसी भी रूप में जिरह में स्वीकार नही करता कि चैक उसके ही काम में लिये हुये है।

18. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण के गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रामअवतार बिलोनियां, पी.डब्ल्यू. 02 विकास तारीका एवं पी.डब्ल्यू. 03 सुभाष चंद की ओर से चैकों से हस्ताक्षर के मिलान कर भुगतान किया जाना बताया है और खाताधारक निसार अहमद स्वयं द्वारा ही चैक काम में लिया जाना बताता है और उससे कूटरचना संबंधी तथ्य और अधिक संदिग्ध हो जाता है और यह संदिग्धता अपने आप में तब निर्णायक रूप ले लेती है जब प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू. 15 अश्वनी कुमार जिरह में यह स्वीकार करता है कि **"यह सही है कि चैक बुक जिससे चैक प्रदर्श पी 17 लगायत प्रदर्श पी 19 काटे गए थे वो चैक बुक निसार अहमद द्वारा जी जारी करना पाया गया था।"** जब परिवादी चैक पर हस्ताक्षर मिलान करने के बाद भुगतान किया जाना बताता है, खाताधारक विवादित चैक स्वयं काम में लिया

जाना बताता है और अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान से विवादित चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 खाताधारक निसार अहमद द्वारा ही जारी किया जाना अपने अनुसंधान से पाता है, वहां यह तथ्य किसी भी रूप में अंशमात्र भी विश्वास योग्य नही रह जाता है कि चैक प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 पर हस्ताक्षर खाताधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कर चैकों की कूटरचना की गई हो।

19. यद्यपि अनुसंधान अधिकारी अश्वनी कुमार की ओर से दिनांक 24.12.2013 को निसार अहमद के स्पेशीमेन हस्ताक्षर प्रदर्श पी 27 लगायत पी 29 लेकर उनके एफएसएल भेजा जाना बताया है। अभियोजन की ओर से एफएसएल रिपोर्ट को प्रदर्श पी 37 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। प्रथमतः तो अनुसंधान अधिकारी की ओर से यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदर्श पी 27 लगायत पी 29 हस्ताक्षर किस व्यक्ति के किस रूप में करवाए गए हैं। द्वितीयतः प्रदर्श पी 37 एफएसएल रिपोर्ट में जो निष्कर्ष दिया गया है, उस अनुसार चैक संख्या प्रदर्श पी 17 से प्रदर्श पी 19 के हस्ताक्षर स्पेशीमेन हस्ताक्षर एस–1 से एस–27 हस्ताक्षरों से मिलते है। प्रदर्श पी 27 स्पेशीमेन हस्ताक्षर शोयब उर्फ शोबी के स्पेशीमेन हस्ताक्षर है। लेकिन जब परिवादी रामअवतार बिलोनियां, अनुसंधान अधिकारी व खाताधारक निसार अहमद तीनों ही चैक पर संबंधित व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होने के तथ्य को स्वीकार करते हैं, वहां एफएसएल रिपोर्ट अपने आप में इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कोई दस्तावेज कूटरचित है।

20. न्यायिक विनिश्चय **S. Gopal Reddy versus State of Andhra Pradesh 1996 AIR(SC) 2184** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है किः–

21. .....The evidence of an expert is a rather weak type of evidence and the courts do not generally consider it as offering conclusive proof and therefore safe to rely upon the same without seeking independent and reliable corroboration. In Madan Bihari Lal v. State of Punjab, while dealing with evidence of a handwriting expert, this Court opined :

> **"We think it would be extremely hazardous to condemn the appellant merely on the strength of opinion evidence of a handwriting expert. It is now well settled that expert opinion must always be received with great caution and perhaps none so with more caution than the opinion of a handwriting expert. <u>There is a profusion of precedential authority which holds that it is unsafe to base a conviction solely on expert opinion without substantial corroboration.</u> This rule has been universally acted upon and it has almost become a rule of law. It was held by this Court in Ram Chandra v. State of U.P., AIR 1957 SC 381 that it is unsafe to treat expert handwriting opinion as sufficient basis for conviction, but it may be relied upon when supported by other items of internal and external evidence. This Court again pointed out in Ishwsari Prasad v. Md. Isa, AIR 1963 SC 1728 that**

expert evidence of handwriting can never be conclusive because it is, after all, opinion evidence, and this view was reiterated in Shashi Kumar v. Subodh Kumar, AIR 1964 SC 529 where it was pointed out by this court that expert s evidence as to handwriting being opinion evidence can rarely, if ever, take the place of substantive evidence and before acting on such evidence, it would be desirable to consider whether it is corroborated either by clear direct evidence or by circumstantial evidence. This Court had again occasion to consider the evidentiary value of expert opinion in regard to handwriting in Fakhruddin v. State of M.P. AIR 1967 SC 1326 and it uttered a note of caution pointing out that it would be risky to found a conviction solely on the evidence of a hand- writing expert before acting upon such evidence, the Court must always try to see whether it is corroborated by other evidence, direct or circumstantial."

21. इस मामले में प्रतिपादित मतानुसार विशेषज्ञ की साक्ष्य अपने आप में पर्याप्त नही है, उसकी साक्ष्य का अन्य साक्ष्य से पुष्टि होनी चाहिए। प्रश्नगत प्रकरण में जब परिवादी, खाताधारक एवं अनुसंधान अधिकारी तीनों की ओर से विवादित चैकों पर संबंधित व्यक्ति के ही हस्ताक्षर होने के तथ्य को दर्शित किया है, वहां केवल मात्र एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर जो किसी साक्ष्य से पुष्ट नही है किसी भी रूप में

यह तथ्य साबित योग्य नही माना जा सकता कि प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 की किसी रूप में कूटरचना की गई हो।

22. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से किसी भी रूप में प्रदर्श पी 17 लगायत पी 19 को कूटरचित होना नही माना जा सकता है।

– धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ कारित होना –

23. प्रकरण में परिवादी की ओर से पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है, तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के

अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ora. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

> 27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

24. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्तगण पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक–पृथक विवेचन किया जा रहा है।

Authenticated Document

– अभियुक्तगण द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य–

25. इस संबंध में पूर्व विवेचनानुसार जब चैक की कूटरचना का तथ्य साबित नहीं है और परिवादी चैक से हस्ताक्षर मिलान कर भुगतान किया जाना बताता है, खाताधारक निसार अहमद स्वयं द्वारा चैक काम में लिया जाना बताता है और अनुसंधान अधिकारी विवादित चैक निसार अहमद द्वारा जारी किया जाने के तथ्य की पुष्टि अपने अनुसंधान से करता है, वहां यह तथ्य अपने आप में नासाबित हो जाता है कि बैंक मेनेजर को किसी रूप में अभियुक्तगण द्वारा प्रवंचित कर राशि प्राप्त की गई हो।

– आपराधिक न्यास भंग का तथ्य –

26. इस संबंध में गवाहों की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्तगण द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्तगण द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्तगण द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

– आपराधिक षड़यंत्र कारित करने का तथ्य –

27. अभियुक्तगण की पहचान, दस्तावेजात की कूटरचना, प्रवंचना का तथ्य एवं आपराधिक उपरोक्त विवेचनानुसार जब गवाहान की साक्ष्य के अनुसार जब अन्यास भंग का तथ्य अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित नहीं होते हैं, वहां आपराधिक षड़यंत्र का तथ्य अपने आप में नासाबित हो जाता है।

– निष्कर्ष –

28. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र कर दिनांक 01.10.2013 को समय 11.25 पर मौजा केनरा बैंक, झुंझुनूं में परिवादी बैंक से बेईमानी व कपटपूर्वक छल कर चैक नम्बर 366058 रूपये 9,00,000/–, चैक नम्बर 366059 रूपये

Authenticated Document

8,00,000/– एवं चैक नम्बर 366060 रूपये 23,00,000/– का भुगतान प्राप्त कर सम्पत्ति परिदत्त कर छल किया एवं प्राप्त रकम को अपने निजी उपयोग में लेकर या अन्यत्र उपयोग कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया हो तथा अभियुक्तगण ने परिवादी बैंक कैनरा बैंक में तीन चैक नम्बर 366058, 366059 एवं 366060 जो कि मूल्यवान प्रतिभूति हैं कि कूटरचना परिवादी बैंक के साथ छल करने के आशय से की एवं उक्त चैकों की कूटरचना कर फर्जी/कूटरचित चैक जानते हुए असली के रूप में उपयोग में लिया हो। लिहाजा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

29. परिणामतः अभियुक्तगण 1. श्याम उर्फ श्यामसुन्दर उर्फ देवराज पुत्र कश्मीरीलाल दुआ, निवासी बी–201 सैनिक इंकलेव, जड़ोदा कलां, पुलिस थाना नजफगढ, नई दिल्ली, 2. नरेश पालीवाल उर्फ नवीन उर्फ राजीव वर्मा पुत्र स्व. जगदीश पालीवाल, निवासी मकान नम्बर 245 गली नम्बर 7 गोविन्द बिहार करावलनगर, दिल्ली–94 हाल आर–243, गली नम्बर 4 जोगाबाई, पुलिस थाना जामियानगर, दिल्ली–25, 3. शोएब उर्फ शोबी पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी मकान नम्बर ए–19 मुरादी रोड़, बाटला हाऊस, ओखला, नई दिल्ली, 4. अयाज उर्फ खुर्म पुत्र सुलतान खां, निवासी नम्बर 13/94 विजवारियान, बल्लीमरान चांदनी चौक, पुलिस थाना लाहोरी गेट, नई दिल्ली, 5. अनीश खान उर्फ युनुस खान उर्फ मामू पुत्र इसफखान, निवासी मकान नम्बर 1892 गल बहराम बैग, लाल कुआं, पुलिस थाना होस का जी, दिल्ली–6 को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406,467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण

Authenticated Document

में खाताधारक निसार अहमद के बैक खाते से संबंधित दस्तावेज अपील की समयावधि व्यतीत होने के पश्चात या अपील के आदेश के अनुसार नियमानुसार बैक को लौटाया जावे।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

30. निर्णय आज दिनांक 06 अप्रेल, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया ।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

YOGESH KUMAR Digitally signed by YOGESH KUMAR

Authenticated Document